संख्या–20/1/91–का–2–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक:: 15 मार्च, 2012

विषयः– भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध।

महोदय,

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–20/1/91(1)–का–2–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(हीरा लाल गुप्ता)
विशेष सचिव